उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने क्षैतिज आरक्षण याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में **राज्य की मूल निवासी महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण** को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा।

मुख्य बिंदु:

- याचिका में **उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (महिलाओं के लिये क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2022 की धारा 3(1)** को चुनौती देते हुए कहा गया है कि राज्य की महिलाओं के लिये 30% आरक्षण **भारत के संविधान के अनुच्छेद 16** के दायरे से बाहर है।
- मामले के अनुसार, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने **14 मार्च 2024 को प्रांतीय सिविल सेवा (PCS)** के विभिन्न पदों के लिये विज्ञापन जारी किया था।
  - **विज्ञापन के खंड 10 (d)** में उत्तराखंड की मूल निवासी महिला उम्मीदवारों के लिये 30% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है।
  - याचिकाकर्त्ता ने आरक्षण को चुनौती दी और कहा कि केवल मूल निवास के आधार पर क्षैतिज आरक्षण नहीं किया जाना चाहिये।
    - **उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (महिलाओं के लिये क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2022 की धारा 3(1)** असंवैधानिक है क्योंकि यह **भारत के संविधान के अनुच्छेद 16** का उल्लंघन करती है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 16

- लोक नियोजन के विषय में सकारात्मक भेदभाव या आरक्षण का आधार प्रदान करता है।
  - **अनुच्छेद 16(4)** में प्रावधान है कि राज्य नागरिकों के किसी भी ऐसे **पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिये कोई भी प्रावधान** कर सकता है, जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
  - **अनुच्छेद 16(4A)** में प्रावधान है कि राज्य **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण** के लिये कोई भी प्रावधान कर सकता है यदि उन्हें राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है।
  - **अनुच्छेद 16(6)** में प्रावधान है कि राज्य किसी भी **आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण** के लिये कोई उपबंध कर सकता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/uttarakhand-high-court-seeks-state-govt-reply-on-horizontal-reservation-plea